न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर

रा0प्रकरण कमांक :–

प्रस्तुत दिनांकः–01/11/2017

PBR/पुनर्वलोकन/होशंगाबाद/प्र.रा/2017/4396

1. ईश्वरसिंह एवं पूनमसिंह अवयस्क बली पिता सुमेरसिंह संरक्षक सुमेरसिंह आ0 गुलयारसिंह गुलयारसिंह राजपूत निवासी ग्राम बिच्छापुर तहसील टिमरनी जिला हरदा म0प्र0
2. श्रीमति अल्ताफ बी पुत्री बाबूखॅा पत्नि सईद खॅा निवासी ग्राम झाड़पा,तहसील टिमरनी जिला हरदा

————आवेदकगण

बनाम

रसूल खॅा आ. नत्थू खॅा मुसलमान निवासी ग्राम उमरिया तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद म0प्र0 ——————————अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959.

आवेदकगण निम्न निवेदन करते है कि :–

1. यह कि,यह आवेदन पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दिनांक 9/8/2017 का पुर्नावलोकन हेतु प्रस्तुत किया है।

2. यह कि,माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय श्री संदीपसिंह द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2013 को आदेश पारित किया गया इसके विरूद्व अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष पिटीसन दायर की गई जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/08/2013 के आदेश को प्रत्यावर्तित किया गया एवं दोनों पक्षकारों को दिनांक 27 जुलाई 2016 को माननीय बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर पुनः सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करें गुण दोषो के आधार पर निर्देशित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/रिव्यु/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4396

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यत्ता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9–8–17 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 4114–पीबीआर/2012 में पारित आदेश दिनांक 9–8–17 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	